विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 1797
द्वारा - श्रीमती कृष्णा गौर विधायक महोदय

[1/3/2021]

परिशिष्ट - एक

प्रश्न सं. [क्र. 1797]

संचालनालय
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाऐं म0प्र0
सतपुड़ा भवन, भोपाल
E Mail - dirtadp@mp.gov.in

क्रमांक / वन / याचिका–50–2008 / 2019 / 352

भोपाल, दिनांक 01/05/2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय नईदिल्ली में प्रचलित याचिका क्रमांक 109 / 2008 वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 13.02.2019 एवं दिनांक 28.02.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त/अमान्य किये गये दावेदारों को वनभूमि से बेदखल न किये जाने बाबत ।

विषयान्तर्गत लेख है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय नईदिल्ली में प्रचलित याचिका कमांक 109 / 2008 वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2019 को आदेश पारित किया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त / अमान्य किये गये दावेदारों को वनभूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे । (आदेश की प्रति संलग्न है) माननीय न्यायालय के निर्णय /आदेश पर लगाई गई पुनर्विचार याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा संलग्न आदेश दिनांक 28.02.2019 को पारित आदेश में दिनांक 13.02.2019 को दिये गये आदेश को स्थगित करते हुए, निम्नांकित बिन्दुओं पर मुख्य सचिव महोदय का शपथ पत्र चाहा गया है :–

1. वन अधिकार संबंधी आवेदनों के निराकरण हेतु अपनाई गई प्रकिया ।
2. जो आवेदन निरस्त किये गये है उनके निरस्ती के आधार ।
3. आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिये गये अवसर।
4. जो दावे निरस्त हुए है वे स्पीकिंग ऑर्डर (स्पष्ट कारण दर्शाते हुए) निरस्त किये गये है अथवा नहीं।
5. जो दावे निरस्त है उनकी बेदखली करने संबंधी क्या कार्यवाही की जा रही है ।
6. आवेदन करने वाले व्यक्तियों का श्रेणीवार विवरण ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

10

7. संचालनालय के संलग्न पत्र कमांक /वन अधि/19/831/104 दिनांक 11.04.2019 के द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 27.02.2019 का कार्यवाही विवरण भेजा गया है । समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि मान न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र दायर करने के पूर्व सभी निरस्त दावों के निरस्ती के आधार का पुनः परीक्षण किया जाये तथा इसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जायें।

अतः उपरोक्त निर्णय के तारतम्य में निर्देशित किया जाता है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त /अमान्य किये गये दावेदारों को आगामी आदेश तक बेदखल न किया जावे । दावों के पुनः परीक्षण करने की प्रक्रिया के संबंध में शीघ्र ही पृथक से निर्देश दिये जाएगें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

Dipali Rastogi
(दीपाली रस्तोगी)
आयुक्त
आदिमजाति कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/वन/याचिका–50–2008/2019/352 भोपाल, दिनांक 01/05

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग सतपुडा भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु । वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्व संभाग मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. समस्त संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विकास मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों द्वारा की जा रही कार्यवाही की सतत् समीक्षा करे ।
6. समस्त सहायक आयुक्त जनजाति विकास मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिला संयोजक जनजाति विकास मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
आदिमजाति कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

Assistant Commissioner
Tribal Area Development Planning
Satpura Bhawan, Bhopal

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति